

अभिभावक अनुमति पत्र

श्रीमती मोनिका एस0गर्ग अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-5453/सत्तर-3-2020-08(20)/2020 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में महाविद्यालय खोलने तथा अपने पाल्य को महाविद्यालय भेजे जाने की अनुमति दिये जाने के क्रम में मैं भी श्री/श्रीमती..... अपने पुत्र/पुत्री.....कक्षा.....को महाविद्यालय को स्वच्छता एवं कोविड-19 के बचाव हेतु संस्था द्वारा किये गये प्रयासों को अपने पुत्र/पुत्री हेतु सुरक्षित पाते हुए सहर्ष महाविद्यालय भेजने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक:-

हस्ताक्षर.....

मो0नं0-

अभिभावक.....

महाविद्यालय का नाम-

पता-

प्रतिहस्ताक्षरित

प्राचार्या

सम्बंधित महाविद्यालय